इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 फरवरी 2024—माघ 25, शक 1945

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2024

क्र. 2692-36-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

#### MADHYA PRADESH BILL

#### NO 2 of 2024

#### THE PROVINCIAL SMALL CAUSE COURTS (REPEAL) BILL, 2024

#### A Bill to repeal the Provincial Small Cause Courts Act, 1887.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title.

- 1. This Act may be called the Provincial Small Cause Courts (Repeal) Act, 2024.
- Repeal and Savings.
- 2. (1) The Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (No. 9 of 1887) shall stand repealed.
- (2) The repeal by this Act, of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is committed to repeal the useless and ineffective laws (Madhya Pradesh Acts) lying on the Statute Book, which are obsolete, redundant or lost their significance. The Government of Madhya Pradesh has identified the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (No. 9 of 1877) so far for repeal by the Madhya Pradesh Legislative Assembly, for which consent of the High Court of Madhya Pradesh has been obtained.

- 2. As part of the ongoing initiative of the State Government, the present proposal of the State Government is to repeal the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 useless and ineffective law by the State Legislative Assembly. An appropriate saving clause has been incorporated in the Bill. On being enacted, it would reduce useless and ineffective laws and bring in clarity to those for whose benefit the laws are enacted.
  - 3. Hence this Bill.

**BHOPAL:** 

DATED THE 7th FEBRUARY, 2024

GOUTAM TETWAL Member-In-Charge इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2024—माघ 24, शक 1945

### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. 2567-मप्रविस-16-विधान-2024.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 13 फरवरी 2024 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**ए. पी. सिंह,** प्रमुख सचिव.

#### मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२४

## प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, २०२४

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ का निरसन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) अधिनियम, २०२४ है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

- २. (१) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ (१८८७ का ९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.
- (२) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सिम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धित या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमश: किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धित, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुन: प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार कानूनी पुस्तक में की अनुपयोगी और प्रभावहीन विधियों (मध्यप्रदेश अधिनियमों) के निरसन के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि अप्रचलित हैं, अनावश्यक हैं या महत्वहीन हो चुकी हैं. मध्यप्रदेश शासन ने प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ (१८८७ का ९) को चिन्हांकित किया है, जिसे मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निरसित किया जाना है, जिसके लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त की जा चुकी है.

- २. राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के ही एक भाग के रूप में, राज्य विधान सभा द्वारा अनुपयोगी और प्रभावहीन विधि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ को निरसित किए जाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है. विधेयक में एक समुचित व्यावृत्ति खण्ड सिम्मिलित किया गया है. अधिनियमित हो जाने पर यह अनुपयोगी एवं प्रभावहीन विधियों को कम करेगा और उन लोगों के लिए स्पष्टता लाएगा जिनकी प्रसुविधा के लिए विधियां अधिनियमित की गई हैं.
  - ३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल: तारीख ७ फरवरी, २०२४. गौतम टेटवाल भारसाधक सदस्य.